

**महत्वपूर्ण परिपत्र**

सं.प्रशा./हिं.क./601/रा.भा. आदेश  
कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(सी.स.)  
सीमा सडक भवन, नारायणा,  
दिल्ली छावनी-110010  
दिनांक: 23/04/2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी  
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों सहित  
संगठन के समस्त उप-कार्यालय

विषय:- संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए  
वर्ष 2015-2016 के लिए वार्षिक कार्यक्रम।

संदर्भ:- र.ले.म.नि. कार्यालय का दिनांक 20/04/2015 का पत्र सं.0746/हिं.क./रा.भा./वा.का./जिल्द.2

\*\*\*\*\*

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के उक्त विषयक संदर्भित पत्र के अधीन सूचित किया गया है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2015-2016(प्रति संलग्न) जारी कर दिया गया है तथा इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल [rajbhasha.nic.in](http://rajbhasha.nic.in) से डाउन लोड कर लिया जाए।


इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किये जाएं तथा राजभाषा नीति संबंधी निदेशों के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत में इस कार्यालय को भेजी जाए एवं वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक समेकित अनुपालन रिपोर्ट यथा समय इस कार्यालय को भेजी जाए।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में वार्षिक कार्यक्रम को एक मद के रूप में रखा जाए तथा इसमें दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में भी चर्चा की जाए।

कृपया 2014-15 की वार्षिक कार्यक्रम संबंधी समेकित अनुपालन रिपोर्ट यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेज दी जाए।

**प्रधान नियंत्रक** महोदय द्वारा अवलोकित।


कृपया पावती दें।

  
(संदीप कुमार यादव), भा.र.ले.से.  
समूह अधिकारी

प्रतिलिपि सेवा में,

रक्षा लेखा महानियंत्रक  
उलन बटार मार्ग, पालम,  
दिल्ली छावनी-110010 ----सूचनार्थ

2. प्रभारी अधिकारी, ई.डी.पी अनुभाग -वैबसाईट पर डाउनलोड करने हेतु।

  
(कृष्ण गोपाल)  
हिंदी अधिकारी

### हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बतार, टेलेक्स, फेक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100% कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100% कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 85% कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट 100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)

## Annual Programme for 2015-16 for use of Hindi

S.NO	DETAILS OF WORKS	'A' REGION		'B' REGION		'C' REGION	
1.	Originating Correspondence in Hindi (including Telegram, Wireless, Telex, Fax E-mail etc.	1. From A to A 2. From A to B 3. From A to C  4. From Region A to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	100% 100% 65%  100%	1. From B to A 2. From B to B 3. From B to C  4. From Region B to Offices Individuals in States / UTs of A & B region	90% 90% 55%  100%	1. From C to A 2. From C to B 3. From C to C  4. From Region C to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	55% 55% 55%  85%
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi		100%	100%		100%	
3.	Noting in Hindi		75%	50%		30%	
4.	Recruitment of Hindi Typists & Stenographers.		80%	70%		40%	
5.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Asstt.)		65%	55%		30%	
6.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)		100%	100%		100%	
7.	Preparation of Bilingual Training Material		100%	100%		100%	
8.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital matters i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from English and Regional Languages.out of the total Library grant, excluding journals and standard reference books		50%	50%		50%	
9.	Purchase of all electronic equipments, including computers in bilingual form.		100%	100%		100%	

12. (I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों, (.स.सं./निदे./स.उ) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिष्ठत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
13. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें (कम से कम)	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
14. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो		"क" क्षेत्र 40%	"ख" क्षेत्र 30% (न्यूनतम अनुभाग) "ग" क्षेत्र 20%

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, "क" क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

10. Website.	100% (bilingual)	100% (bilingual)	100% (bilingual)
11. Citizen Charter and display of Public interface information Board	100% (bilingual)	100% (bilingual)	100%(bilingual)
12. {I} Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters & by the officers (DS/Dir/JS) of DOL(% of Offices)	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
{II} Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
{III} Joint inspections by the officers concerned & those of the Deptt. of Official Language of Foreign based Undertakings/Offices etc. owned or controlled by the Central Government.		At least one inspection in a year.	
13. Meetings regarding Official Language			
{A} Hindi Salahakar Samiti		02 meetings in a year (minimum)	
{B} Town Official Language Implementation Committee.		02 meetings in a year (One meeting every 6 months)	
{C} Official Language Implementation Committee.		04 meetings in a year (One meeting every quarter)	
14. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.		100%	
15. Sections of the Ministries/ Departments/offices/Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi.		A Region 40%	B Region 30%
		C Region 20%	
		(Minimum Section)	
		40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept of section.	